न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर पीठासीन अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा RAS

राजस्व वाद संख्या 106/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
परागाराम पुत्र सवाजी कौम चौधरी, निवासी देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)		1. हंजा देवी पत्नि नाथाराम फौत के कायम मुकाम वारिशदार– 1/1. नाथाराम पुत्र सवाजी 1/2. वालाराम पुत्र सवाजी 1/3. प्रवीण पुत्र सवाजी 1/4. कमलादेवी पुत्री सवाजी 1/5. सुरज देवी पुत्री सवाजी 1/6. पवनी देवी पुत्री सवाजी तमाम कौम चौधरी, निवासीगण देबावास, तहसील आहोर, जिला जालोर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

दावा बाबत् नाम की घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995

उपस्थिति :–श्री मांगीलाल चौधरी वकील वादी

श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6,

तहसीलदार आहोर प्रतिवादी संख्या 02

निर्णय

दिनांक :– 24/10/2019

वादी द्वारा दावा बाबत् नाम की घोषणा एंव रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा देबावास, पटवार क्षैत्र देबावास, तहसील आहोर जिला जालौर में स्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तनाम खसरा नम्बर निम्न प्रकार प्रकार है ।

खसरा नम्बर	रकबा(हैक्टर)	किस्म
500	3.51	बारानी प्रथम
कुल खसरा न.–1 कुल रकबा 3.51 हैक्टर		किस्मानुसार

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

उपरोक्त खसरा नम्बर की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 की शामलाती आई हुई है, वादी द्वारा केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का नाम परागाराम पुत्र जोईताराम, के स्थान पर परागाराम पुत्र सवाजी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु उक्त दावा नाम की घोषण का पेश किया है, वादी के पिता का नाम सहीं एवं वास्तविक व निजी दस्तोवजात् में दर्ज नाम के अनुसार उपरोक्त राजस्व रेकर्ड में परागाराम पुत्र जोईताराम, के स्थान पर परागाराम पुत्र सवाजी के नाम की घोषणा की जावें। वादी के पिता का वास्तविक नाम सवाजी ही है एवं जोईताराम व सवाजी एक ही व्यक्ति है। सबुत हेतु वादी ने अपने निजी दस्तावेजात् यानि आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड, भारत सरकार द्वारा पहचान कार्ड, ईत्यादि में नाम सवाजी, ही दर्ज है।

अतः श्रीमान के न्यायालय में नाम की घोषणा का वाद म्य शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा देबावास के वर्तमान खसरा नम्बर 500 रकबा 3.51 हैक्टर की आराजी में वादी के पिता का नाम मिस्टेक त्रुटिवंश वर्तमान राजस्व रेकर्ड में परागाराम पुत्र सवाजी के स्थान पर परागाराम पुत्र जोईताराम दर्ज कर दिया है इस कारण नाम में दुरूस्ती कर वादी के पिता का नाम परागाराम पुत्र सवाजी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। तथा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार आहोर पर आदेश प्रदान करावें।

वादी द्वारा वाद पत्र म्य शपथ पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर जरिये नोटिस के प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6 की ओर से वकील ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया की राजस्व रेकर्ड में परागाराम पुत्र जोईताराम के स्थान पर वादी के पिता का नाम परागाराम पुत्र सवाजी दर्ज किया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया की

मौजा देबावास के खसरा नम्बर 500 में वादी के पिता का नाम परागाराम पुत्र सवाजी की बजाय रेकर्ड में परागाराम पुत्र जोईताराम दर्ज हुआ है, इस कारण वादी द्वारा पेश दस्तावेजो के आधार पर नाम दुरूस्त कर परागाराम पुत्र सवाजी किया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार दस्तावेजो एवंम् प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर दावा डिकी फरमावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान दस्तावेज फहरिस्त के साथ आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशनकार्ड, भारत सरकार द्वारा पहचान कार्ड, ईत्यादि दस्तावेज पेश किये जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा कथन किया गया कि राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता स्वम् का नाम परागाराम पुत्र जोईताराम के स्थान पर परागाराम पुत्र सवाजी दर्ज करवाना चाहता है, वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो एवम् प्रतिवादीगण द्वारा भी ईकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी के पिता का नाम दुरूस्त किये जाने में सहमति व्यक्त की है। अतः दावा डिकी फरमाते हुये वादी के पिता का नाम परागाराम पुत्र सवाजी दुरूस्ती का आदेश फरमावें। प्रतिवादीगण संख्या 02 राज्य पैरोकार उपस्थित। जिन्होनो कथन किया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ पत्र, अन्य दस्तावेजो की प्रस्तुत छाया प्रतियो के अनुसार वादी के पिता का नाम परागाराम पुत्र जोईताराम नहीं हो कर परागाराम पुत्र सवाजी होना सिद्व हो रहा है। तथा सभी तथ्यो के आधार पर वादी के पिता का नाम परागाराम पुत्र सवाजी दुरूस्त किया जाता है तो राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होगा। और कोई नई बात नहीं कहीं।

हमने सम्पूर्ण प्रत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दूओं पर मनन भी किया। जिसके अनुसार वादी के पिता का सवाजी नाम सिद्व करने में सफल रहने से दावा वादी स्वीकार किया जा कर नाम दुरूस्त किया जोने योग्य प्रतीत हो रहा है।

अतः दावा वादी डिकी किया जाता है कि सरहद मौजा देबावास, तहसील आहोर, के वर्तमान खसरा नम्बर 500

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला-जालोर (राज.)

रकबा 3.51 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, से सम्बधित राजस्व रेकर्ड में दर्ज सह–खातेदार वादी के पिता का नाम परागाराम पुत्र जोईताराम के स्थान पर परागाराम पुत्र सवाजी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आहोर माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। प्रत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

प्रशान्त शर्मा RAS
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

डिकरी व मकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(CiVil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर महोदय, मुकाम आहोर

व इजलास **प्रशान्त शर्मा RAS**

परागाराम पुत्र सवाजी बनाम हंजा देवी पत्नि नाथाराम वगैरा

दावा बाबत् नाम की घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती

मुकद्दमा नं. / सन्. 2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान व हाजरी **श्री मांगीलाल चौधरी वकील वादी** मिनजमरिब मुद्दई व **श्री जितेन्द्र कुमार चौधरी वकील प्रतिवादीगण** मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि – सरहद मौजा देबावास, तहसील आहोर, के वर्तमान खसरा नम्बर 500 रकबा 3.51 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम, से सम्बधित राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहे–खातेदार वादी के पिता का नाम परागाराम पुत्र जोईताराम के स्थान पर परागाराम पुत्र सवाजी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार आहोर माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। लीज..... मुबलिग .....बाबत् ....खर्चा इस मकदमें के सूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें ।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालतके आज तारीख 24 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई ।

दस्तखत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

ओहदा आहोर, जिला–जालोर (राज.)

मुहर

मुद्दई	रूपया पै.	मुद्दायलाह	रूपया पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	✓	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहाना फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	✓

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

आहोर, जिला–जालोर (राज.)